modern, exports in Computer Science, representatives of the Government and other experts may be formed. The Committee shall produce the basis of the second workshop which is felt to be necessary before any action is taken to implement Vedic Mathematics (VM) at different levels.

The committee shall examine the following issues, either as a whole or through sub-committees to arrive at final recommendations.

(i) Suitability of VM for introduction at school level and all its ramification e.g. inclusion in text books, training of teachers, logically consistent explanations of VM techniques, teaching aids etc.

(ii) To study ways and means of encouragement, by which research in VM can be carried out to understand its potential and limitations at University level.

(iii) To suggest Multimedia Strategy to increase overall awareness of VM and to explore the role of voluntary organisations for this.

(iv) To examine the possibility of providing centralised/regional facilities for training and information dissemination and promoting research in the field of VM.

(v) To write to the Department of Electronics (Government of India) to support development of VM educational software in Indian Languages, and to provide financial support to the projects on VM|applications in development of computer technology, such as knowledge based algorithms, VM based computer architecture, etc.

(vi) Any other relevant issues raised during the deliberations.

2. The Ministry of Human Resource Development should provide all necessary support to enable effective functioning of the committee.

3. The Ministry should prepare a time bound programme for preparation of the report of the above committee and organisation of goal-oriented workshops.

D.T.C. Losses

1801. SHRI KAILASH PATI MISHRA:

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:—

(a) what has been the average yearly loss to the Delhi Transport Corporation in 1983-84 and 1986-87; and

(b) whether there has been a steep rise in the losses of the D.T.C. since 1979-80; if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) The working loss for the year 1983-84 was Rs. 45.95 crores and for 1986-87 was Rs. 38.63 crores.

(b) No, Sir. The losses have been reduced after the fare revision in February, 1986.

राजस्थान में तपेदिक के कारण हुई मौतें

1802. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में तपेदिक के कारण कितने व्यक्तियों की, वर्ष-वार मृत्यु हुई; और

(ख) सरकार ने तपेदिक को नियंत्रित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य [मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) क्षय रोग एक सूचनीय रोग नहीं है। इसलिए राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षयरोग से मरने वाले व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या का पता

नहीं है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षय रोग से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	मौतें
1985	589
1986	728
1987	606

ये आंकड़े चिकित्सा संस्थाओं में इलाज किए गए रोगियों के हैं। ये आंकड़े अनन्तिम और अधूरे है और अस्पष्ट कवरेज के कारण इनकी तुलना नहीं की जा सकती।

(ख) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा देश के प्रत्येक जिले में एक जिला क्षयरोग केन्द्र खोला जा रहा है जिससे रोगियों और लोगों को निदान, उपचार और निवारक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिले की सामान्य स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ-साथ व्यापक स्तर पर जिला क्षयरोग कार्यक्रम चलाया जा सके। अब तक देश में 371 जिला क्षयरोग केन्द्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त 300 क्षय रोग क्लीनिक भी कार्य कर रहे हैं। लगभग 46,000 क्षय रोग पलंग भी उपलब्ध हैं जो आपाती रोगियों, जटिल समस्या वाले रोगियों और शल्य चिकित्सा वाले रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निवारक उपाय के रूप में बी॰ सी॰ जी॰ का टीका लगाया जा रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोधी औषधें, एक्सरे मशीनें/फिल्म रोल तथा उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। क्षय रोगियों को औषधियां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों द्वारा पदोन्नतियों को ठुकराया जाना

1803. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पिछले शैक्षिक सत्र में लगभग 500 अध्यापकों ने उनको मिलने वाली पदोन्नति को ठुकरा दिया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन की तबादला-नीति के तहत पदोन्नति पाने वालों को जिले और भाषाई क्षेत्र से बाहर जाना होता है;

(घ) क्या सरकार को इस वर्तमान नीति को बदलने और पूर्व नीति को कायम रखने के लिये कुछ संसद सदस्यों से कोई सुझाव प्राप्त हुये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ साही) : (क) पी॰जी॰टी॰ के रूप में पदोन्नति के लिए जिन 146 टी॰जी॰टी॰ का प्रस्ताव किया गया था, उन में से अभी तक 96 ने पदोन्नति अस्वीकार कर दी है। इसी प्रकार से उप-प्रधानाचार्य के रूप में जिन 98 पी॰जी॰टी. को पदोन्नति की पेशकश की गयी थी, उनमें से 33 ने पदोन्नति अस्वीकार कर दी है।

(ख) दिए गए कारण सामान्यतया पारिवारिक समस्याओं और नियुक्ति के स्थान की अनुपयुक्तता से सम्बन्धित होते हैं।

(ग) जी, हां। वर्तमान नीति के अनुसार पी॰जी॰टी. के रूप में पदोन्नति पर किसी भी टी॰जी॰टी॰ और भर्ती